



रजिस्टर्ड

कार्यालय उप वन संरक्षक, बीकानेर

ईमेल -dfobkn@gmail.com & dcf.bknr.forest@rajasthan.gov.in
पब्लिक पार्क, बीकानेर फोन- 0151-2544951

क्रमांक : एफ () सर्वे / 2022-23 / 349
निमित्त,

दिनांक :- 16/2/23

प्रबंधक
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
रिटेल रीजन, भगत की कोठी
जोधपुर।

विषय:- Diversion of 0.1276 ha. of forest land in favour of Hindustan petroleum Corporation Ltd. for Construction of approach road for proposed Hindustan petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Ganganagar-Bikaner NH-15, (RHS) Between Chainage MS Stone 89/760, To 89/841.40 Chak -2 BHM, Tehsil-Lunkaransar, District Bikaner. Proposal No : [FP/RJ/ROAD/38474/2019]

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्रांक 8 बी/राज/06/42/2020/एफसी दिनांक 15.02.2022 एवं संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर का पत्रांक 2622 दिनांक 05.04.2022 एवं 1032 दिनांक 15.02.2023 व इस कार्यालय का पत्रांक 1877 दिनांक 08.04.22

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप वन महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्रांक 8 बी/राज/06/42/2020/एफसी दिनांक 15.02.2022 द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 0.1276 ha. of forest land in favour of Hindustan petroleum Corporation Ltd. for Construction of approach road for proposed Hindustan petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Ganganagar-Bikaner NH-15, (RHS) Between Chainage MS Stone 89/760, To 89/841.40 Chak-2 BHM, Tehsil-Lunkaransar, District Bikaner. Proposal No : [FP/RJ/ROAD/38474/ 2019] वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है अतः शर्तों अनुसार निम्न बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करावे:-

बिन्दु संख्या ए-1- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 160 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु नई बी.एस.आर. 259/- रुपये मॉडल अनुसार आवश्यक धनराशि रुपये 165760/- (अखरे रुपये एक लाख पैसंत हजार सात सौ इकसठ मात्र) कैम्पा नई दिल्ली में ई-चालान से जमा करावे।

बिन्दु संख्या ए-2- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राशि नई दर अनुसार = 0.1276 है0 X 670140 रुपये = 85510/- (अखरे रुपये पिचयासी हजार पाँच सौ दस मात्र) रुपये कैम्पा मद नई दिल्ली में ई-चालान से जमा करावे।

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओं के बिन्दु संख्या ए-3 से ए-7 एवं बिन्दु संख्या बी-1 से बी-18 की बिन्दुवार पालना सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में जमा की जाने वाली राशि ई-चालान से ऑन लाईन जमा करायी जावे।

इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012- एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवावे ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना आगामी कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भिजवायी जा सके।

भवदीय

(रंगास्वामी ई, IFS)

उप वन संरक्षक
बीकानेर

क्रमांक/सम/

दिनांक:-

प्रतिलिपि संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर को उनके पत्रांक 1032 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है।

(रंगास्वामी ई, IFS)

उप वन संरक्षक
बीकानेर